न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारी:–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–20/18 (2018/00049) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–शान्तिदेवी पत्नि नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–भगवान पिता नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–सुरेश पिता नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–मोहन पिता केला लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बालु पिता सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–जगदीश पिता सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–शान्तिदेवी पत्नि सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1–जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 69 में अंकित आराजी संख्या 2158/1483 रकबा 0.11 है0 आराजी संख्या 2159/1497 रकबा 0.03 है0 भूमि तथा प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात खाता संख्या 147 में अकिंत आराजी संख्या 1481 रकबा 0.14 है0, संख्या 2156/1478 रकबा 0.11 है0, संख्या 2160/1497 रकबा 0.20 है0, भूमिया अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 वर्णित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम सरेवड़ी की सीमा में स्थित सरकारी रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 2155/1478 की दक्षिणी पाली व आ.स. 2157/1483 आ.स.1484 की उत्तरी पाली होकर जाता है पूर्व में प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजियात शामलाती थी परन्तु प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सहमति से विभाजन हुआ जिसमें रास्ते की भूमि को सामलाती नही छोड़ा गया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की आराजी में रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी में आवागमन नही कर पा रहे है तथा विपक्षीगण की आराजी में होकर आवागमन करने पर प्रार्थीगण के विरूद्व पुलिस थाना रायपुर में झुठी रिपोर्ट पेश कर रहे है। जिससे प्रार्थीगणो को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम सरेवड़ी की सीमा में सरकारी रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी स. 2155/1478 की दक्षिणी पाली व आ.स. 2157/1483 आ.स.1484 की उत्तरी पाली होकर जाता है जो करीब 12 फीट

चौड़ा है। विपक्षीगण रास्ता रोक देने से प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में आवागमन नही कर पा रहे है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नही है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर 1 में किया गया है में आवागमन के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 2155 / 1478 की दक्षिणी पाली व आ.स. 2157 / 1483 आ.स.1484 की उत्तरी पाली पर 12 फीट चौड़ा रास्ता बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में स्थाई रूप से दर्ज करने तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसी. दर से राशि राजकोष में जमा कर विपक्षीगण को प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सरेवड़ी की सीमा में स्थित खातेदारी आराजी संख्या 2158 / 1483 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2159 / 1497 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1481 रकबा 0.14 है0, संख्या 2156 / 1478 रकबा 0.11 है0, संख्या 2160 / 1497 रकबा 0.20 है0, मैं आवागमन हेतु आबादी भूमि से होकर आराजी नम्बर 1471 बिलानाम रास्ता से होकर बना हुआ है। बिलानाम रास्ता से वादीगण के आराजियात के मध्य प्रतिवादी आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.14 है0 एवं आराजी संख्या 2155 / 1478 रकबा 0.10 है0 स्थित है जिसकी मध्य पाली पर वादीगण आते जाते है वर्तमान में आराजी नम्बर 1484 व 2155 / 1478 जो बिलानाम रास्ते से सटी हुई है पर पत्थर की दिवार बना रखी है। मौके पर वादीगण के आने जाने हेतु प्रयुक्त रास्ते को प्रतिवादीगण ने पत्थर की दिवार बनाकर बन्द किया हुआ है। एक जगह से दिवार गिरा रखी है। जहां से वर्तमान में वादीगण आते जाते रहे है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता मौजुद नही है। वर्तमान में आराजी नम्बर 1484 की उत्तरी एवं आराजी नम्बर 2155 / 1478 की दक्षिणी मेड़ पर होकर आ जा रहे है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.14 है0 मे से रकबा 0.02 है0 (200 वर्गमीटर) एवं आराजी नम्बर 2157 / 1483 रकबा 0.11 है0 मेसे रकबा 0.0050 है0 (50 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.0250 है0 यानि 250 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 103360 से 11958 रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि 23916 रू. होती है विपक्षी को भुगतान किया जाना है। प्रस्तावित रास्ते को नक्क्षा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो सलंग्न है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के वादीगण की आराजियात में जाने हेतु कोई वेकल्पिक रास्ता मौजुद नही है।

मुकदमा नम्बरः–20 / 18 (2018 / 00049) प्रार्थना पत्र

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी 2158 / 1483, 2159 / 1497, 1481, 2156 / 1478, 2160 / 1497 में आवागमन हेतु आराजी नम्बर 1471 के बिलानाम रास्ते से प्रार्थी आराजी नम्बर 1484, एवं 2155 / 1478 के मध्य मेड़ के सहारे सहारे जो बिलानाम रास्ते ले लगती हुई होकर त्रपत्थर की दीवार बनी हुई है ओर प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता मौके पर चालु है प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु ओर कोई वैकल्पिक एवं समीप रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 2158 / 1483, 2159 / 1497, 1481, 2156 / 1478, 2160 / 1497, में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.02 है0** भूमि एवं आराजी नम्बर 2157 / 1483 रकबा 0.11 है मे से रकबा 0.0050 है0. भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0250 है0 अर्थात 250 वर्गमीटर भूमि की बाजार दर 103360 / –रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 250 वर्गमीटर की राशि 11958 / –रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 23916 / –रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.02 है0** भूमि एवं आराजी नम्बर 2157 / 1483 रकबा 0.11 है मे से रकबा 0.0050 है0. भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0250 है0 अर्थात 250 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.02.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—20/18 (2018/00049) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शान्तिदेवी पत्नि नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भगवान पिता नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—सुरेश पिता नाथुलाल लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मोहन पिता केला लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बालु पिता सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जगदीश पिता सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शान्तिदेवी पत्नि सोहन लुहार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :— तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 2158/1483, 2159/1497, 1481, 2156/1478, 2160/1497, में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.02 है0** भूमि एवं आराजी नम्बर 2157/1483 रकबा 0.11 है मे से रकबा 0.0050 है0. भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0250 है0 अर्थात 250 वर्गमीटर भूमि की बाजार दर 103360/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 250 वर्गमीटर की राशि 11958/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 23916/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.02 है0** भूमि एवं आराजी नम्बर 2157/1483 रकबा 0.11 है मे से रकबा 0.0050 है0. भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.0250 है0 अर्थात 250 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

18-2-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: